समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र.

सर्किट बेंच भोपाल म.प्र.

नि.3198-PBR/15

निगरानी क्र. ..../15

1. अजब सिंह आ.स्व.श्री बटनलाल
आयु लगभग 50 वर्ष,
2. अचल सिंह आ.स्व.श्री बटनलाल
आयु लगभग 47 वर्ष,
3. श्रीमती रानी बेवा श्री मखमल सिंह
आयु लगभग 30 वर्ष,
4. श्रीमती सिंगार बाई बेवा स्व.श्री बटनलाल
आयु लगभग 70 वर्ष,

सभी निवासीगण–ग्राम भौरी,
वार्ड क्र. 3, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म.प्र. .... रिवीजनकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती फूलवती बाई आयु वयस्क
पत्नि श्री बालकिशन
निवासी– ग्राम र.मनखेड़ा, तहसील
श्यामपुर, जिला सीहोर म.प्र. .... रेस्पॉडेन्ट

कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण (निगरानी) याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू रा. संहिता 1959

माननीय महोदय,

रिवीजनकर्तागण/आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अति. तहसीलदार तहसील हुजूर वृत्त–4 जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/ए–6–ए/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 से अंसतृष्ट एवं दुखी होकर यह रिवीजन याचिका माननीय महोदय के समक्ष रिवीजन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3198–पीबीआर/15 **जिला** भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–10–2015	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 2–9–2015 को लगभग 9 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण यह दर्शाया गया है कि आवेदकगण तहसील न्यायालय में निरन्तर उपस्थित रहे और दिनांक 4–3–14 को आवेदकगण की उपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है, और उसके पश्चात् बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये और बिना सूचना दिये दिनांक 14–11–14 को प्रकरण पुर्नस्थापित करने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 10–7–14 को हुई और उनके द्वारा तत्काल नकल प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत कर दी गई, जबकि तहसील न्यायालय में आवेदकगण की उपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हुआ था तब आवेदकगण का यह दायित्व था कि वे तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करते, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण को दिनांक 10–7–14 को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी, उसके बावजूद भी उनके द्वारा लगभग डेढ माह पश्चात इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है । अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मान्य की जाकर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	